

6.5.24

उपरोक्त उपस्थित / सा. राजस्व अधीन अधिकारी
श्री गंगाकांत के पत्रांक अधीन 30/24/2024 दिनांक 15.4.24
द्वारा न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.2.24 के विरुद्ध 9.5.2024/17
पाहनी गई है। आदेशों की पालना में न्यायालय की
पनाहनी संख्या 2024/17 सा. राजस्व अधीन अधिकारी
श्री गंगाकांत के उपस्थित की जावे पश्चात्तन इति
है।

आदेश हुआ जादा।



उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)



कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

क्रमांक / राजस्व / वाद / 204 / 17 / 06.05.2024 / 24 / 3641 दिनांक:-06.05.2024

श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

विषय:-राजस्व वाद संख्या 204/2017 अनवान सोहनलाल आदि बनाम
पूर्णराम व अन्य अन्तर्गत धारा 88,53,209 आरटीए निर्णय दिनांक
26.02.2024 भिजवाने हेतु।

प्रसंग:-आपका पत्रांक/अपील/30/24/204 दिनांक 15.04.2024।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र द्वारा चाही जा रही पत्रावली संख्या
204/2017 अनवान सोहनलाल आदि बनाम पूर्णराम व अन्य अ.धा. 88,53,209
आरटीए निर्णय दिनांक 26.02.2024 (प्राथमिक डिक्री आदेश के विरुद्ध) कुल
पृष्ठ-133 मूल ही इस पत्र के संलग्न आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित
है।

संलग्न:-एक पत्रावली

भवदीय

(सीता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)